

तारीख
26.02.2014

शुक्रवार
21/02/14
श्री. म. न. श. (कै. जा.)
+ 2570
श्री. म. न. श.

सेवा में,

आंध्रप्रदेश एवं प्रबंध निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
केंद्रीय कार्यालय, सौ. दामिनी एलॉड नं. - 2, सेक्टर - 29
गुडगाँव, हरियाणा - 142001
फोन नं. - 0124-2571800
फैक्स - 0124-2571990

विषय :- सुचना लेने के संबंध में

महोदय :- सविनय निवेदन है कि मैं संजय महेश, पिता - श्री. महेशभा भास्कर,
(~~श्री. समाजसेवी~~) ग्राम - वाधमार, पो. - मकतपुर, तालुका - जयपुर,
जिला - केडपुड़ा का निवासी हूँ। (शारखण्ड)
मैं सुचना अधिनियम 2005 के तहत सुचना लेना चाह रहा हूँ
जो मुझे सुचना दिया जाए।

अ. प्र. नि. सं. पर
श्री. (परि.)
आ. नि. (कै. आ.)

+ सुचना इस विषय में दिया जाए।

① अभी तक बहुत सारे लोगों को धान एवं वृक्ष नवरेका
पैसा नहीं दिया गया है।

जिन जमीन पर फसल एवं वृक्ष नवरेका हुआ है। पदाधिकारियों
के द्वारा एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा सर्वे करने के
बाद कौले जिन लोगों का फसल एवं वृक्ष नवरेका हुआ है
उन्हें पैसा दे रहे हैं बकरी लोगों नहीं मिलेगा।

जिनमें कि जो पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों
के द्वारा जो सर्वे किया गया है वह गलत होगा
सं किना गया है।

② जिसका फसल नवरेका नहीं हुआ है उन्हें पैसा दिया गया है
एवं जिसका फसल एवं वृक्ष नवरेका हुआ है उन्हें पैसा नहीं
दिया गया है।

③ जिन जमीन मालिकों का फसल एवं वृक्ष अधिक नवरेका
हुआ है उनको कम पैसा दिया गया है।

① जिन जमीन मालिकों का फसल एवं वृक्ष क्रम नबर हुआ है
उन्हे अधिक पैसा दिया गया है।

मैं कोरका पावर ग्रिड के पदाधिकारी से मुलाकात किने
एवं इस विषय में जानकारी मांगी तो बोले हैं हमें कुछ
पता नहीं है और न मैं कुछ बतानेगा यह पदाधिकारी
का नाम इस प्रकार है सुनिल कुमार, एवं जिन नाम
जो हमें नहीं दूसरे लोगों के माध्यम से पता चलें
इन लोगों ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया।

इससे जमीन मालिक जिनको पावर ग्रिड के द्वारा
पैसा नहीं दिया गया है और इनका फसल एवं वृक्ष नबर
हुआ है। हमसे संपर्क किया तो इनके कोरका ~~अधिकारी~~
के माध्यम से मुलाकात किने तो वहां के पदाधिकारी को मिले हैं कि
मिले पहुँचे हमें बोले कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हें पैसा
नहीं दिया है और कुछ लोगों ~~से~~ के

अधिक फसल एवं वृक्ष नबर हुआ है उन्हे कम
पैसा दिया गया है। एवं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें
अधिक फसल एवं वृक्ष क्रम नबर हुआ है उन्हे अधिक
पैसा दिया गया है। इस संबंध में जानकारी मांगी
तो एवं बोले कि इन लोगों का समस्या का
समाधान किया जाय उन्हे बोले जो हुआ है
सही हुआ है अब कुछ नहीं होगा।
जो करना है कर सकते हैं।

इसके बाद मैं संबंधीत उपरी अधिकारी
से सुचना के माध्यम से जानकारी लेना
चाह रहा हूँ कि इस संबंध में किस
प्रकार का सर्वे किया गया है।

जावकारी नहीं दिया जाय

5) धान फसल एवं वृक्ष नवट पर किस प्रकार से पैसा मिलता है। एवं कितना जमीन पर कितना पैसा मिलता है। एवं पावर ग्रिड तार से सही मुकाम होने पर किन-किन स्थितियों के लिए पैसा मिलता है।

1) धान के फसल नवट होने पर कितना जमीन पर कितना पैसा मिलता है।
2) वृक्ष के नवट होने पर कितना पैसा मिलता है। एवं किस जाती के वृक्ष पर कितना पैसा मिलता है।

कोडरमा जिल्ला के जयनगर प्रखण्ड के अन्दर कितने लोगों को पैसा दिया गया है और कितने लोगों को कभी पैसा नहीं मिला है।

नाम और पता सहित सुचना दिया जाय।

3) जयनगर प्रखण्ड के अन्दर सैक गाँव के सिमाना में कितना जमीन सिमा गया है।

सैक गाँव में अपना सिमाना में किन-किन लोगों का कितना फसल एवं वृक्ष नवट हुआ है। और उन्हें कितना पैसा मिला है और कितने लोगों का कभी पैसा देने के लिए बाकी है। यह जावकारी हों नाम और पता सहित दिया जाय।

हमें पता चला है कि एवं पता है कि गलत ढंग से सर्वे किया गया है। यदि गलत सर्वे प्राप्त गया है तो उन सभी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही किया जाय। एवं हम किसानों को सही अधिकार के तहत फसल एवं वृक्ष नवट का सही लाभ दिया जाय।

36.02.2014

हम लोगों का जमीन पर फसल खेपें वृक्ष नष्ट हुआ है और पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों का अधिक फसल खेपें वृक्ष नष्ट हुआ है उन्हें गलत ठुंजा है सर्व कराकर पदाधिकारियों के मिली भगत के कारण ~~हम लोगों को~~ पैसा नहीं दिया गया है। एवं जिन लोगों का कम फसल खेपें वृक्ष नष्ट हुआ है। उन लोगों को अधिक पैसा दिया गया है।

इन सभी बिन्दुओं का सुचना देते हुए जल्द से जल्द जांच कराया जाय। ताकी सबों को सही क़ाबलीकार मिल पायें।

अभिधीय

① उपायुक्त महोदय जिला कोडरमा

उपायुक्त विश्वासी

संलग्न पत्र

पता - श्री लक्ष्मण पट्टन

ग्राम - बाधनारा

मुखण्ड - जयनगर

जिला - कोडरमा

राज्य - झारखण्ड

पिन नं. - 825318

मो. नं. - 9852718474